



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2017/चैत्र 15, 1939

No. 265]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

सा.का.नि.332(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 के उपखंड (2) के खंड (ग), (ड), (च) और (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989

(क) अनुसूची -I, में—

(i) क्रम संख्या 8 और 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात:-

"8. कोलकाता अंडमान निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल;

9. गुवाहाटी (2) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा";

(ii) क्रम संख्या 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात:-

"12क लखनऊ (2) क्रम संख्या 11 और 12 के लिए कॉलम (3) में शामिल को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जिले";

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात:-

"14 नई दिल्ली दिल्ली का संघ शासित क्षेत्र"

(ख) अनुसूची-1 (क) के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुसूची-1 (क)

[नियम 3 का उपनियम(1) देखें]

क्र. सं.	जोन	प्रशासनिक प्रमुख	मुख्यालय	पीठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उत्तरी जोन	उपाध्यक्ष (तकनीक)	लखनऊ	चंडीगढ़ दिल्ली गाजियाबाद गोरखपुर लखनऊ
2.	पूर्व जोन	उपाध्यक्ष (तकनीक)	कोलकाता	भुवनेश्वर गुवाहाटी कोलकाता पटना रांची
3.	दक्षिणी जोन	उपाध्यक्ष (न्यायिक)	चेन्नै	बेंगलुरु चेन्नै एरणाकुलम सिकंदराबाद
4.	पश्चिमी जोन	उपाध्यक्ष (न्यायिक)	मुम्बई	अहमदाबाद गुवाहाटी भोपाल जयपुर मुम्बई नागपुर"

[फा. सं. 2016/टीसी(आरसीटी)/1-13]

रविनेश कुमार, कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत)

नोट : प्रमुख नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 842(अ) तारीख 19 सितम्बर 1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए :-

- (1) सा.का.नि. 700(अ), तारीख 26 नवम्बर, 1991;
- (2) सा.का.नि. 438 (अ.), तारीख 21 अप्रैल, 1992;
- (3) सा.का.नि. 509(अ), तारीख 15 जून, 1994;
- (4) सा.का.नि. 270(अ), तारीख 4 जुलाई, 1996;
- (5) सा.का.नि. 59(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997;
- (6) सा.का.नि. 719(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1999;

- (7) सा.का.नि. 167 (अ), तारीख 29 फरवरी, 2000;
 (8) सा.का.नि. 513(अ), तारीख 9 जुलाई, 2001;
 (9) सा.का.नि. 787 (अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2002;
 (10) सा.का.नि. 384(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2003;
 (11) सा.का.नि. 66(अ), तारीख 15 फरवरी, 2006;
 (12) सा.का.नि. 498(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;
 (13) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007;
 (14) सा.का.नि. 96 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2010;
 (15) सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015; और
 (16) सा.का.नि. 464(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2016.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2017.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989,-
 (a) in Schedule - I,-
 (i) for serial numbers 8 and 9 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-
 “8. Kolkata Union territory of Andaman and Nicobar Islands and West Bengal;
 9. Guwahati (2) Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim and Tripura”;
 (ii) for serial number 12A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
 “12A Lucknow (2) All Districts of Uttar Pradesh except those included in column (3) against serial numbers 11 and 12”;
 (iii) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
 “14 New Delhi Union territory of Delhi”;
- (b) for Schedule - 1 (A), the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE - 1(A)

[see sub-rule (1) of rule 3]

Sl. No.	Zone	Administrative Head	Headquarter	Benches
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	North Zone	Vice-Chairman (Technical)	Lucknow	Chandigarh Delhi Ghaziabad Gorakhpur Lucknow
2.	East Zone	Vice-Chairman Technical)	Kolkata	Bhubaneshwar Guwahati Kolkata Patna Ranchi
3.	South Zone	Vice-Chairman	Chennai	Bengaluru

		(Judicial)		Chennai
				Ernakulam
				Secunderabad
5.	West Zone	Vice-Chairman	Mumbai	Ahmedabad
		(Judicial)		Bhopal
				Jaipur
				Mumbai
				Nagpur”.

[F. No. 2016/TC(RCT)/1-13]

RAVINESH KUMAR, Executive Director (Public Grievances)

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 842(E) dated the 19th September, 1989 and subsequently amended as follows:-

- (1) G.S.R 700(E), dated the 26th November, 1991;
- (2) G.S.R. 438(E), dated the 21st April, 1992;
- (3) G.S.R. 509(E), dated the 15th June, 1994;
- (4) G.S.R. 270(E), dated the 4th July, 1996;
- (5) G.S.R. 59(E), dated the 4th February, 1997;
- (6) G.S.R. 719(E), dated the 15th October, 1999;
- (7) G.S.R. 167(E), dated the 29th February, 2000;
- (8) G.S.R. 513(E), dated the 9th July, 2001;
- (9) G.S.R. 787(E), dated the 2nd December, 2002;
- (10) G.S.R. 384(E), dated the 22nd October, 2003;
- (11) G.S.R. 66(E), dated the 15th February, 2006;
- (12) G.S.R. 498(E), dated the 23rd August, 2006;
- (13) G.S.R.283(E), dated the 11th April, 2007;
- (14) G.S.R.96(E), dated the 22nd February, 2010;
- (15) G.S.R.711(E), dated the 17th September, 2015; and
- (16) G.S.R.464(E), dated the 28th April, 2016.